न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी नागौर
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 190/18

वादीगण :-
1-दिनेश पुत्र रामकिशोर उम्र 16 वर्ष
ना.बा.जरिये कुदरती वलिया माता
बाजुदेवी पत्नि रामकिशोर
2-बाजुदेवी पत्नि रामकिशोर
जातियान जाट (लटियाल) निवासीगण खाखड़की हाल
निवासी गेमलियावास तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगण:-
1-रामकिशोर पुत्र बाबुलाल
जाति जाट(लटियाल) निवासी खाखड़की
हाल निवासी गेमलियावास तहसील रियांबड़ी
2-तहसीलदार साहब रियांबड़ी
3-पटवारी हलका लीलीयां

दावा बाबत घोषणा खातेदारी हक व बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

निर्णय

दिनांक :-04/6/18

वादी की ओर निम्न वाद प्रस्तुत है :-

1-यह है कि वादी एंव प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है। हिन्दु है व हिन्दु मिताक्षरा विश्व विधालय बनारस शाखा से गर्वन होते है। आपस में पिता-पुत्र व पति पत्नि का रिश्ता है।
2-यह है कि मौज गेमलियावास की सरहद में खेत खसरा नंबर 30 रकबा 2.700 हैक्टर, खसरा नंबर 326 रकबा 2.0600 हैक्टर,खसरा नंबर 350 रकबा 2.600 हैक्टर,खसरा नंबर 1136 रकबा 1.6500 हैक्टर सम्पूर्ण व मौजा गेमलियावास के ,खसरा नंबर 307 रकबा 3.5700 हैक्टर,खेत खसरा नंबर 308 रकबा 3.1500 हैक्टर में से 1/2 भाग प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम से खातेदारी में दर्ज है। यह आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी की आराजी है।
3-यह है कि पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजी को आगे वाद पत्र में मुतनाजा आराजी के नाम से जाना जायेगा।
4-यह है कि उपरोक्त विवादित आराजीयान का मौके पर बंटवारा किया हुआ है। अलग-अलग धोरे व पालियां डाली हुई है। इसी माफिक काश्त व काबिज चले आ रहे है। परंतु खातेदारी में नाम माफिक बंट के नहीं होने से वादीगण को भारी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा इसलिए वादी यह घोषणा का वाद पेश कर रहा है।
5-यह है कि मुतनाजा आराजी का बंटवाड़ा पक्षकारान ने कर लिया है जो इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण ने जो बंटवाड़ा किया जो निम्न प्रकार से है :-
1-वादी संख्या 1 के बंट में :-
मौजा गेमलियावास के खसरा नंबर 30 रकबा 2.700 हैक्टर,खसरा नंबर 326 रकबा 2.0600 हैक्टर,खसरा नंबर 350 रकबा 2.600 हैक्टर,खसरा नंबर 1136 रकबा 1.6500 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है।
2-वादीनी संख्या 2 के बंट में :-

अध्यक्ष
राजस्व लोक अदालत
केम्प [signature]
रियांबड़ी

मौजा गेमलियावास के खसरा नंबर 307 रकबा 3.5700 हैक्टर व खसरा नंबर 308 रकबा 3.1500 हैक्टर में सें 1/2 भाग प्रतिवादीगण संख्या 1 के स्थान पर वादीनी संख्या 2 के बंट में रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में अन्य आराजी रखी हुई है। इसलिए इस आराजी में इनके कोई बंट में नहीं रखा गया है। इसलिए माफिक बंट के अलग अलग खातेदारी घोषित की जावें।

6—यह है कि उपरोक्त बताये माफिक पक्षकारान अपने अपने बंट की भूमि पर काश्त व काबिज है। तथा मौके पर सीवें माठे कायम कर ली है। वादीगण व प्रतिवादी का नाम खातेदारी में माफिक बंट के नही होने से वादीगण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेरा नंबर 5 में बताये अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का अलग अलग बंट कर दिया जावें

7—यह है कि उपरोक्त खसरान का बंटवाड़ा जुबानी रूप से पक्षकारान ने कर लिया है। मगर कानूनी रूप से बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है। जिससे अभी तक माफिक बंट के अलग अलग खातेदारी का ईन्द्राज नहीं हुआ है। जिससे वादीगण वादग्रस्त खसरान का बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस करवाने हेतू वाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब हेतू तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण ने कैम्प कोर्ट में उपस्थित होकर जरिये अधिवक्तागण के अपना राजीनामा पेश किया। राजीनामा सुनाया गया,सुन समझ सही होना स्वीकार किया। बाद पहचान के राजीनामा तस्दीक करवाया जाकर सामिल मिसल किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में बताया कि पक्षकारान की भूमि पैतृक है और आपस में बंटवारा करवाना चाहते है। राजीनामा के अनुसार पक्षकारान का बंटवारा कर खातेदारी की घोषणा कर दी जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबदी मौजा गेमलियावास का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी व सहखातेदारी में दर्ज है। जिसका बंटवारा करवाना चाहते है। भूमि विरासत में प्राप्त है। पैतृक भूमि का बंटवारा करना वाजिब है। अतः वादीगण का वाद जरिए सहमति के स्वीकार किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादी के बीच निम्न प्रकार से बंटवारा कर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

1—वादी संख्या 1 के बंट में :—

मौजा गेमलियावास के खसरा नंबर 30 रकबा 2.700 हैक्टर,खसरा नंबर 326 रकबा 2.0600 हैक्टर,खसरा नंबर 350 रकबा 2.600 हैक्टर,खसरा नंबर 1136 रकबा 1.6500 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा जाता है।

2—वादीनी संख्या 2 के बंट में :—

मौजा गेमलियावास के खसरा नंबर 307 रकबा 3.5700 हैक्टर व खसरा नंबर 308 रकबा 3.1500 हैक्टर में सें 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीनी संख्या 2 की खातेदारी दर्ज की जावें।

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार बंटवारा कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हों। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोटः—उपरोक्त खसरान में सें अगर बैंक के रहन रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
कैम्प— निम्बोला विश्नोइया

निर्णय दिनांक 04/6/18 को राजस्व लोक अदालत कैम्प निम्बोला विश्नोइया में सुनाया गया ।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
कैम्प— निम्बोला विश्नोइया